

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रतिवादीगण

सुरजाराम वगैरह

बनाम

राजस्व वाद पत्र

मुकदमा नं. 142/2020

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
---------------------------------	---

20 वादी की ओर से यह राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वकील श्री दशरथसिंह राठोड ने पेश किया है। वाद पत्र रजिस्टर किया हो। प्रतिवादीगण जबाब देही हेतु जरिये सम्मन तलब किये जावे। पत्रावली दिनांक 05.11.2020 को पेश हो।

*AS*  
 अजय कलक्टर  
 (एस.डी.ओ.) जायल

05/11/20: वकील श्री दशरथसिंह राठोड ने सम्मन जमान लक्ष्मी शाह हुये है प्र:पत्र हो। मिमल सिंघु 8/11/20 को पत्रा हो।

*AS*  
 अजय कलक्टर  
 (एस.डी.ओ.) जायल

पत्रार/पत्रकाराव क अधिका:

21/11/20  
 अतीन अधिकारी जो सिटिंग है/अन्य काना पर गये हुए है, इसलिए प्रकृषक के समक्ष दिनांक 01.12.20 को पत्रा हो।

03/11/20: वकील श्री दशरथसिंह राठोड ने उक्त वाद पत्र जमान लक्ष्मी शाह हुये है प्र:पत्र हो। मिमल सिंघु 8/11/20 को पत्रा हो।

*AS*  
 अजय कलक्टर (एस.डी.ओ.)  
 जायल जिला नागौर

03/11/20: वकील श्री दशरथसिंह राठोड ने उक्त वाद पत्र जमान लक्ष्मी शाह हुये है प्र:पत्र हो। मिमल सिंघु 8/11/20 को पत्रा हो।

*AS*  
 अजय कलक्टर (एस.डी.ओ.)  
 जायल जिला नागौर

सुरजाराम

तारिख हुक्म

हैं। पत्रावली नम्बर से इस हेतु अधिक  
वक्त हो।

*SD*  
सहायक क्लर्क (एस.डी.ओ.)  
प्रायत, जिला नगौर

*[Faint handwritten text, possibly a signature or address]*

*[Faint handwritten notes or signatures at the bottom of the page]*